न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 03, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 1323/2026

CNR No. UPGD01003850-2026

बाबर पुत्र नौशाद आयु करीब 33 वर्ष, निवासी–ग्राम नगरा, थाना–पटरंगा, जिला अयोध्या।

————————————प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

सरकार उ0प्र0 **————————————————————————————————अभियोगी।**

मु0अ0सं0 09/2025,
धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व
धारा–11 पशु क्रूरता अधिनियम,
थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा।

दिनांक 09.06.2026

अभियुक्त **बाबर** की ओर से जरिये अधिवक्ता मु0अ0सं0 09/2025, अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा–11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो उसके पैरोकार इमरान के शपथ पत्र से समर्थित है।

आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा चौकी प्रभारी अंकित सिंह द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर थाना करनैलगंज, गोण्डा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी कि दिनांक 12.01.2025 को वादी/चौकी प्रभारी मय हमराहियान देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम रात्रि गस्त चेकिंग हेतु क्षेत्र में मामूर था कि जरिये मुखबिर सूचना मिली की एक ट्रक, जिसका नं0 यू0पी0 50 ए0टी0 1255 पर प्रतिबन्धित पशु लाद कर तस्करों द्वारा गोण्डा से होते हुए लखनऊ की तरफ जा रहा है, जल्दी करने पर पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर वाहनों की चेकिंग करना शुरू किया कि कुछ देर पश्चात् कर्नलगंज की तरफ से एक ट्रक तेज गति से आता दिखायी दिया, उक्त चालक द्वारा रोड पर हम पुलिस वालों की उपस्थिति देखकर घबराकर पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया गया, ट्रक की गति अधिक होने के कारण वाहन मौके पर ही पलट गया, चूंकि रात्रि का समय व काफी अंधेरा होने के कारण उक्त ट्रक पर मौजूद चालक व सहायक तथा दो अन्य व्यक्ति अज्ञात वाहन से भागने में सफल हो गये। हम पुलिसजनों ने अभियुक्तगणों का पीछ किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी, तत्पश्चात् हम पुलिस जन उक्त पहले हुए ट्रक के पास पहुंचकर डाला खोलकर देखा गया तो उक्त वाहन में कुल 19 राशि प्रतिबन्धित पशु (बैल) क्रूरतापूर्वक रस्सी से बंधे हुए मौजूद मिले, जिसमें से 5 पशु/बैल मृत पाये गये तथा 14 राशि बैल जीवित पाये गये। इस प्रकार वाहन स्वामी व वाहन चालक तथा सहायक व अन्य दो व्यक्तियों के द्वारा धारा–3/5ए/8 गोवध निवारक अधि0 तथा 11 पशु क्रूरता अधि0 का अपराध कारित किया जाना पाया गया। वाहन सं0–यू0पी0 ए0टी0 1255 से सम्बन्धित कोई कागजात प्राप्त न होने पर धारा–207 एम0वी0 एक्ट की कार्यवाही की गयी।

वादी मुकदमा के उक्त फर्द/तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 09/2025, धारा–3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा–12 पशु क्रूरता अधिनियम, के तहत वाहन स्वामी मंजेश, वाहन चालक नाम अज्ञात, सहायक चालक नाम अज्ञात व अन्य दो व्यक्ति नाम अज्ञात के विरूद्ध दिनांक 13.01.2025 को समय 02.30 बजे, थाना करनैलगंज, गोण्डा में दर्ज किया गया।

दिनांक : 09.06.2026 **अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–03, गोण्डा।**

Digitally signed by DANISH HASNAIN
Date: 2026.06.12 22:47:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में फर्जी एवं रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। दर्शायी गयी घटना झूंठी व मनगढंत है, आपस में सलाह मशविरा करके अति विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। मुकदमें में नामित अन्य सहअभियुक्त से आवेदक/अभियुक्त का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और न कथित घटनास्थल पर पकड़ा गया है और न ही उसके पास से कोई बरामदगी ही हुई है। कथित फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त ने उचित जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त कथनों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सम्पूर्ण अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर यह अभियोग लगाया गया है कि उसके द्वारा अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 19 राशि प्रतिबन्धित पशु (बैल) को ट्रक में लादकर वध हेतु ले जाया जा रहा था, जो कि धारा–3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध कारित किया गया है। जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उसे फर्जी नामित करने का कथन किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि वर्तमान अभियुक्त नामजद नहीं है तथा सहअभियुक्तों के बयान के आधार पर उसको प्रकरण में नामित किया गया है। फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त को न तो मौके से गिरफ्तार किया गया है और न ही उसके पास से कोई बरामदगी ही दर्शित की गयी है तथा उक्त फर्द पर जनता के किसी निष्पक्ष/स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर होना भी नहीं पाया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। सहअभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किये जा चुके है।

ऐसे में मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर बिना विचार किये हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **बाबर** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 09/2025, अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा–11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0 **1323/2026 स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इसी धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल किये जाने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर उसे जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाये।

दिनांक : 09.06.2026 **अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–03, गोण्डा।**

1— अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होता रहेगा और अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के अपने दिये हुए स्थान व पते को छोड़कर बाहर नहीं जायेगा।

2— अभियुक्त द्वारा न्यायालय में विचाराधीन वाद में साक्ष्य के दौरान पूर्ण सहयोग करेगा।

3— अभियुक्त वाद विचारण के दौरान गवाहों पर दबाव नहीं बनायेगा और न ही उत्पीड़न करेगा।

4— न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

5— अभियुक्त द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करेगा।

(दानिश हसनैन)
J.O.Code UP 2727
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–3,
गोण्डा।

दिनांक–09.06.2026